18.10.2024

वाद पुकारा गया। पुकार पर अपीलार्थी देवेन्द्र लाल की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भवान सिंह चौहान उपस्थित आए।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रकाश सिंह भण्डारी उपस्थित आए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या–32ख पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी के घर पर आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण आज अनुपस्थित है, अपीलार्थी की हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता प्रदान की जाए तथा आज बहस की तैयारी नहीं हो पायी है, बहस हेतु एक तिथि प्रदान करने की कृपा की जाए, जिस पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अनापत्ति दर्शित करने से स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अनुपालन अन्तर्गत धारा–437ए दंड प्रक्रिया संहिता एवं बहस हेतु दिनांक 25.11.2024 को पेश हो।

(बिन्ध्याचल सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चमोली।